



# 30 प्र० स्टेट पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट

14-अशोक मार्ग, शक्ति भवन (विस्तार),  
लखनऊ - 226001

दूरभाष सं० 0522-2288187

संख्या: 1625/ट्रस्ट/सा०भ०नि०/निर्देश

दिनांक: 21.09.2015

“ई०मे०” समस्त उपमुख्य लेखाधिकारी (वितरण)/पारेषण/उ०प्र०पा०का०लि०,  
उ०प्र०पा०ट्रा०का०लि०/डिस्कॉम/उ०प्र०रा०वि०उ०नि०लि०/उ०प्र०ज०वि०नि०लि०।  
केस्को कानपुर, मेरठ, आगरा, लखनऊ एवं वाराणसी।

**विषय :- प्रोन्नति पर सा०भ०नि० योजना में सदस्यता की स्वीकृति/खाता संख्या आबंटन आदि के सम्बन्ध में।**

कार्यालय द्वारा सँज्ञान में लाया गया है कि प्रोन्नति पर सा०भ०नि० योजना में संवर्ग के अनुरूप खाता संख्या आबंटन हेतु प्रार्थना-पत्र निर्धारित प्रारूप में आवश्यक सूचनाएँ, विवरण के साथ प्राप्त न होने के कारण विलम्ब एवं अनावश्यक पत्राचार करना पड़ता है।

उपरोक्त सम्बन्ध में समीक्षा के उपरान्त निम्न निर्देश निर्गत किये जा रहे हैं:-

1. सा०भ०नि० खाता संख्या आबंटन हेतु प्रार्थना-पत्र संलग्न प्रारूप में दो प्रतियों में, प्रोन्नति आदेश एवं योगदान आख्या या कार्यभार प्रमाण-पत्र की प्रमाणित प्रति, नामांकन प्रपत्र (नॉमिनी की फोटो सहित) प्रेषित किया जाय। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के सम्बन्ध में प्रथम नियुक्ति आदेश या लेखा-पुस्तिका के प्रथम पृष्ठ एवं सेवा पुस्तिका में इंगित प्रथम नियुक्ति के विवरण की सत्यापित छायाप्रति संलग्न की जा सकती है। साथ ही पूर्व पद पर आबंटित सा०भ०नि० खाता संख्या को इंगित किया जाना है। परिचालकीय एवं अधिष्ठान संवर्ग में आबंटन हेतु नामांकन प्रपत्र की तीन प्रति भेजी जाए, जिससे एक प्रति क्षेत्रीय/का० को भी दी जा सके।
2. प्रार्थना-पत्र सम्बन्धित नियन्त्रक अधिकारी के माध्यम से प्रेषित किये जाएँगे और प्रेषित करने से पूर्व जाँच कर ली जाएगी कि कार्मिक की नियुक्ति दिनांक 14.01.2000 से पूर्व की है एवं वह सा०भ०नि० योजना में शामिल होने हेतु अर्ह योग्य है।
3. ट्रस्ट में वर्तमान प्रक्रिया के अन्तर्गत अधिकारी संवर्ग, अवर अभियन्ता संवर्ग, लेखा संवर्ग, अधिष्ठान एवं ऑपरेटिंग संवर्ग हेतु अलग-अलग नम्बर आबंटित किये जाते हैं, जबकि चतुर्थ श्रेणी के सा०भ०नि० खाता संख्या सम्बन्धित कार्यालय स्तर से आबंटित होते हैं। प्रोन्नति एवं पदावनति सम्बन्धी मामलों में निम्न प्रक्रिया अपनायी जाएगी:-  
(अ). अधिकारी स्तर पर पद परिवर्तन होने पर वर्तमान सा०भ०नि० खाता संख्या में परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है, मात्र सा०भ०नि० अनुसूची में खाता संख्या के साथ, वर्तमान पद नाम को इंगित किया जाए।  
(ब). अधिकारी संवर्ग से अवर अभियन्ता संवर्ग, अधिकारी संवर्ग से लेखा संवर्ग, अवर अभियन्ता संवर्ग से परिचालकीय संवर्ग एवं अधिकारी संवर्ग से अधिष्ठान संवर्ग में पदावनति होने पर ट्रस्ट द्वारा पूर्व में आबंटित पुराना खाता संख्या पुर्नजीवित हो जाएगा एवं इस तरह के सभी प्रकरणों की सूचना नया एवं पुराना खाता संख्या इंगित करते हुए सम्बन्धित क्षेत्रीय लेखा कार्यालय के माध्यम से ट्रस्ट कार्यालय को शीघ्र प्रेषित की जाएगी, जिससे ट्रस्ट के अभिलेखों में संशोधन एवं लेखापर्ची/कटौती का विवरण प्रेषित किये जाने की कार्यवाही की जा सके।
4. परिचालकीय/अधिष्ठान संवर्ग से चतुर्थ श्रेणी में पदावनत कर्मचारियों के सम्बन्ध में क्षेत्रीय लेखा कार्यालय स्तर से निर्गत लेखापर्ची सम्बन्धित खण्ड कार्यालय को उपलब्ध करा दी जाएगी। साथ ही ऐसे कर्मचारियों के सम्बन्ध में विवरण प्राप्त कर इकाईवार सूचना ट्रस्ट कार्यालय को शीघ्र प्रेषित की जाएगी।

5. ट्रस्ट कार्यालय द्वारा, ऐसे प्रकरणों को सँज्ञान में लाया गया है, जिसमें पदोन्नति के कई वर्षों बाद खाता संख्या आबंटित करने हेतु प्रार्थना-पत्र, बिना किसी औचित्य के, प्राप्त हुए हैं, जिसके कारण ऐसे कर्मचारियों की लेखापर्ची निर्गत न होने की सम्भावना के कारण कर्मचारी को सा०भ०नि० अग्रिम एवं अन्तिम भुगतान के समय, कठिनाई एवं विवाद उत्पन्न होने के कारण ट्रस्ट की छवि प्रभावित होती है। अतएव पदोन्नति के उपरान्त, योगदान आख्या प्राप्त होने के, तीन माह के भीतर, खाता संख्या आबंटन हेतु प्रकरण ट्रस्ट कार्यालय को प्रेषित कर दिया जाए। साथ ही ऐसे प्रकरण, जिसमें एक अधिक वर्षों से प्रार्थना-पत्र प्राप्त न होने के कारण, खाता संख्या आबंटन न होने के कारण, मासिक अंशदान की राशि (बिना नम्बर के सस्पेंस एकाउन्ट में पड़ी हुयी है) उनकी समीक्षा कर अविलम्ब कार्यवाही करते हुए, ट्रस्ट को भी अवगत करायें। भविष्य में भी खाता संख्या आबंटित होने तक कर्मचारी की सा०भ०नि० अंशदान की कटौती, पूर्व में आबंटित खाता संख्या में ही की जाए एवं मासिक लेखों में भी तदनुसार ही लेखांकित कर लिया जाए।
6. सा०भ०नि० अनुसूची प्रेषित करने हेतु कर्मचारी/अधिकारी के नए आबंटित खाता संख्या एवं पुराने खाता संख्या का उल्लेख किया जाए।
7. जिन कर्मचारियों की पदोन्नति के फलस्वरूप लेखापर्ची ट्रस्ट स्तर से निर्गत की जानी है या अन्तिम भुगतान के मामले ट्रस्ट स्तर से निस्तारित किए जाने हैं, ऐसे कर्मचारियों के पूर्व अवधि के कार्ड्स/लेखापर्ची ट्रस्ट कार्यालय को प्रेषित की जाए।

(पी०के०गुप्ता)  
उपमहाप्रबन्धक (लेखा) एवं  
सचिव (ट्रस्ट)

संख्या: 1625 / ट्रस्ट / सा०भ०नि० / निर्देश / तददिनांक:


**“ई०मेल०”**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को भी सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक (वित्त) एवं ट्रस्टी को सूचनार्थ।
2. उपमहाप्रबन्धक / महाप्रबन्धक (लेखा), उ०प्र०पा०ट्रॉ०का०लि० / उ०प्र०पा०का०लि० / उ०प्र०रा०वि०उ०नि०लि० / उ०प्र०ज०वि०लि०.....
3. समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारी
4. लेखाधिकारी / सहा० लेखाधिकारी, उ०प्र०रा०पा०से०इ० ट्रस्ट।
5. अधिशासी अभियन्ता (वेब), उ०प्र०पा०का०लि० को वेबसाईट पर डालने हेतु।

(पी०के०गुप्ता)  
उपमहाप्रबन्धक (लेखा) एवं  
सचिव (ट्रस्ट)

**FIRST SCHEDULE [RULE 5(3)]  
FORM OF NOMINATION**



Whether the subscriber has a Family yes/no.

General Provident Fund Account

No (To be allowed by Trust).....

I.....(full name) hereby nominate the person(s) mentioned below who is/are member(s)/not member(s) of my family as defined in Rule 2(c) of the General Provident Fund (Uttar Pradesh) Rules, 1985 to receive the amount that may stand to my credit in the fund as indicated below in the event of my death before that amount has become payable or having become payable has not been paid.

Name& full address of the nominee(s)	Relationship with the subscriber	Share payable to each nominee	Contingencies on the happening of which the nomination will become invalid Death/Divorce/Madness etc.	Name, address relationship of the person(s) if any to whom the right of nominee shall pass in the event of his predeceasing the subscriber
1	2	3	4	5

Date-----Month-----20-----

Station:

Two witnesses to signature.

Name, Address, Signature. GPF/CPF Account No.

Signature of subscriber.

- 1.
- 2.

-----  
Name in Block letters-----  
Designation-----

Note- A subscriber who has a family at the time of making nomination shall make such nomination only in favour of a member or members of his family. In case of a subscriber who had no family at the time of making nomination, it shall become invalid in the event of his subsequently acquiring a family.

Space for use by the Head of Department/Head of Office.

Nomination by Sri/Smt./Kumari-----Designation-----

Date of receipt of nomination -----

Signature-----  
Head of Department/Head of Office.  
Designation-----  
Date-----

**Application Form**

**TO BE SUBMITTED IN DUPLICATE (PL FILL IN BLOCK LETTER)**

APPLICATION FOR ADMISSION TO THE GENERAL PROVIDENT FUND  
FOR EMPLOYEES OF THE UPFCL/DISCOM THERMAL ETC.  
(UP TO 13-01-2000)



- 1. Account No (To be allotted by Trust) : -----
- 2. Name of Applicant (In Capital Letter) : -----
- 3. Name of the Father/Husband : -----  
(in the case of married) with occupation : -----
- 4. Name of initial post held : -----  
a)Permanent /Date of Confirmation : -----  
b)Date of Appointment : -----  
c)Date of Birth : -----
- 5. a)Existing GPF A/C No. : -----  
b)Name of Present Post : -----  
c)Scale of pay : -----
- 6. If Subscriber to any another fund the : -----  
Name of the such fund : -----
- 7. Whether the applicant has a family : -----  
(Yes or No) : -----
- 8. If subscriber is an Ex-Govt. servant : -----  
The date of his absorption : -----
- 9. Whether subscriber was employed before : -----  
Joining the corporation, if yes details of : -----  
The fund to which applicant was member : -----
- 10. Name of Nominee with relation as per : -----  
Nomination enclosed : -----

Signature of the applicant  
& contact no. if any

- 11. Recommendation of the forwarding Authority certified that:-  
i.He is not Govt.employee.  
ii.He is not covered to any other scheme.  
iii.He is entitled for GPF A/C No. as per rules.

Signature and Designation of  
The recommending authority not  
Below an Executive Engineer rank  
& contact no.

Note:

- I Application should be in duplicate
- II A nomination on the prescribed form should always accompany the admission applicant. A copy of nomination be kept in service book/PPF of employee
- III Enclose verified copy of first appointment letter or service book entry and copy of 1<sup>st</sup> page of service book , copy of promotion letter, joining letter or charge certificate